412

2

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ–03–17 / 2017 / 10–2 भोपाल, दिनांक 28/06/2017

विषय : वन – राजस्व भूमि सीमा के मिलान के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), ग्लोबल नैविगेशनल सैटेलाईट सिस्टम (GNSS) के डेटा तथा सैटेलाईट इमेजरी का उपयोग कर वन विभाग के नक्शों को राजस्व विभाग की मास्टरशीट पर अंकित करने की प्रक्रिया।

—0—

मंथन 2014 की अनुशंसा क्रमांक 4.3.4 में निम्नानुसार उल्लेख है "वन राजस्व सीमा विवाद के निराकरण हेतु संयुक्त सीमांकन में सहमति वाली सीमाओं को राजस्व विभाग की मास्टरशीट पर अंकित किया जायेगा।" राजस्व एवं वन विभाग द्वारा GIS का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है तथा नक्शे डिजिटाईज्ड किये जा चुके हैं, अतः दोनों विभाग सीमाओं के मिलान के लिये तकनीकी रूप से सक्षम हो गये हैं।

1. राजस्व विभाग द्वारा कैडेस्ट्रल नक्शों के डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण योजना (National Land Record Modernization Programme) के तहत सैटेलाईट इमेजरी का उपयोग कर लैण्ड पार्सल तैयार करने तथा सर्वे के माध्यम से ग्रामों की सीमाओं को तय करने का कार्य किया जा रहा है। राजस्व विभाग के पास प्रदेश के प्रत्येक वर्ग कि.मी. पर ग्राऊड कन्ट्रोल पाइन्ट स्थापित किये गये हैं। यह डेटा राजस्व विभाग अन्य विभागों के साथ साझा करने के लिये तैयार है।

2. वन विभाग द्वारा वर्ष 2008 से GIS का उपयोग कर डिजिटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2013 में वन विभाग द्वारा हाई रिज्योल्यूशन मल्टीस्पेक्ट्रल सैटेलाईट इमेजरी वर्ल्ड व्यू 2 का क्रय किया गया तथा पैन शार्पनिंग के उपरांत इसका उपयोग जियो रिफ्रेंसिंग के लिये किया गया। विभाग द्वारा ब्लॉक नक्शों तथा अन्य पुराने अभिलेखों तथा राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कैडेस्ट्रल नक्शों के डिजिटाईज्ड डेटा का उपयोग कर त्रुटिहीन नक्शे तैयार किये गये हैं।

3. GIS डेटा के उपलब्ध होने के पूर्व नक्शों के समाधान में नक्शों का स्केल एक बड़ी बाधा थी। वन विभाग 1:15,000 के स्केल पर नक्शे तैयार करता था जो बड़े वन भू–खण्डों के लिये उपयुक्त था। राजस्व विभाग 1:4000 के स्केल पर नक्शे आम तौर पर तैयार करता है, यह स्केल छोटे भू–खण्डों के लिये उपयुक्त है। GIS डेटा उपलब्ध होने पर नक्शों का स्केल अप्रासंगिक हो जाता है। वन विभाग के नक्शों को GIS का उपयोग कर राजस्व विभाग की मास्टरशीट पर आसानी से अंकित किया जा सकता है। आशय है कि दोनों विभागों का अब एक डेटाबेस होगा।

4. वन विभाग द्वारा दमोह एवं बुरहानपुर वनमण्डल के कार्य आयोजना के पुनरीक्षण के दौरान त्रुटिहीन नक्शे तैयार किये गये हैं एवं प्रयोग के तौर पर इन दोनों जिलों में वन विभाग के नक्शों को राजस्व विभाग की मास्टर शीट पर अंकित करने का कार्य किया जा सकता है।

5. वन विभाग द्वारा तैयार डिजिटल नक्शे, कैडेस्ट्रल नक्शे एवं मौके पर मुनारों की GNSS रीडिंग को superimpose करने पर सीमाओं के मिलान होने की स्थिति में ऐसे वन खण्डों के 5 प्रतिशत मुनारों की रीडिंग की पुष्टि राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम करेगी। पुष्टि होने पर वन विभाग का उक्त डेटा राजस्व विभाग की मास्टरशीट पर अंकित किया जायेगा। मास्टरशीट के GIS डेटा को अक्षांश देशांतर रेखाओं के साथ JPEG इमेज में परिवर्तित कर संबंधित जिले के कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा दोनों विभागों की वेबसाईट पर यह डेटा उपलब्ध कराया जायेगा।

6. कंडिका 5 में वर्णित समस्त कार्य जिले के कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा संपादित किये जायेंगे। डेटा वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं दक्ष मानव संसाधन वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

7. जिन मामलों में कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी के मध्य सहमति नहीं है उन नक्शों के लिये संबंधित जिले के सम्भाग के आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिले से संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), जिले के कलेक्टर सदस्य होंगे एवं वनमण्डलाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति सभी तथ्यों का परीक्षण कर निर्णय लेगी एवं समिति का निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।

8. दमोह एवं बुरहानपुर वनमण्डलों में राजस्व एवं वन विभाग के ऐसे नक्शे जिसमें सहमति नहीं बन रही है, के बारे में पृथक से संयुक्त निर्देश जारी किये जायेंगे।

9. दमोह एवं बुरहानपुर जिलों में प्रायोगिक तौर पर की गई कार्यवाही के आधार पर इसका कार्यान्वयन समयबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में किया जायेगा।

(दीपक खाण्डेकर)
अपर मुख्य सचिव, वन

(अरुण पाण्डे)
प्रमुख सचिव, राजस्व

(414)

पृ.क्रमांक एफ–03–17/2017/10–2 भोपाल, दिनांक 28/06/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, सतपुड़ा भवन की ओर सूचनार्थ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) की ओर सूचनार्थ। परिपत्र में वर्णित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
4. आयुक्त भू–अभिलेख ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, संभाग–समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया इस संबंध में समय–समय पर समीक्षा कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
7. मुख्य वन संरक्षक, समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला–समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) वन विभाग, भोपाल द्वारा आपसे संपर्क किया जायेगा। कृपया उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
9. वनमण्डलाधिकारी, समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ। उक्त परिपत्र के तारतम्य में अतिशीघ्र सीमाओं के मिलान का कार्य पूर्ण कर अवगत कराये।
10. गार्ड फाईल।

28.6.17

अपर सचिव

म.प्र.शासन, वन विभाग